

“बैठक कार्यवाही विवरण”

आज दिनांक 26/2/2026 को प्रातः/सांय 04:00 बजे पालिका कार्यालय में ले-आउट प्लान समिति सदस्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्रीमान् भरत जयप्रकाश मीना, प्रशासक, नगरपालिका सूरतगढ़ | अध्यक्ष |
| 2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ | सदस्य सचिव |
| 3. श्रीमान् वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका सूरतगढ़ | सदस्य |
| 4. सहायक अभियन्ता, नगरपालिका सूरतगढ़ | सदस्य |

कोरम पूर्ण होने पर सदस्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार नगरपालिका कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्राप्त आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान के लिए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें निम्न एजेण्डों पर विचार-विमर्श किया गया:-

एजेण्डा नं. : 01

सदस्य सचिव द्वारा श्री मनीष कुमार पुत्र श्री तुलसीराम निवासी वार्ड नंबर 15, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के चक टीलावाली के खाता संख्या 77 के खसरा संख्या 6/10, 397/376/6/10 मिन. 2 में कुल 2.026 हैक्टर में से 1.999 हैक्टर यानि 19990 वर्गमीटर का भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण साईट प्लान अनुमोदन का प्रकरण समिति के समक्ष रखा।

प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा और आवंटन हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क एवं ततधीन बनाये गए राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि परियोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 अधिसूचना प.3(90) नविवि/3/2012 जयपुर में वर्णित समस्त दस्तावेज दिनांक 18.11.2025 को पालिका में प्रस्तुत किये। प्रकरण के सम्बंध में नगरपालिका स्तर पर की गई जांच और तकनीकी अभियंता की रिपोर्ट भी प्राप्त की जा चुकी है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2047 में यह भूमि (आवासीय) हेतु आरक्षित है। मौके पर भूमि रिक्त है। प्रकरण के संबंध में नियम 6 के अनुसार प्राप्त आवेदन का एक सैट नियम 3(1) के तहत जाँच कर 15 दिवस के भीतर सहमति/आक्षेप एवं बिन्दुवार रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र क्रमांक 2146 दिनांक 31.10.2025 द्वारा तहसीलदार राजस्व को भिजवाया गया। तदोपरान्त तहसीलदार (राजस्व) द्वारा पत्र क्रमांक 1032 दिनांक 04.11.2025 द्वारा निर्धारित प्रपत्र 6 में अभिशंषा प्राप्त हुई। पालिका द्वारा निर्धारित प्रारूप 10 क्रमांक 2312-16 दिनांक 26.11.2025 द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं सीमा सन्देश को लोक सूचना प्रकाशित करवाई गई अन्तर मियाद कोई आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण के संबंध में तकनीकी राय हेतु आवेदन श्रीमान् वरिष्ठ प्रारूपकार, सूरतगढ़ को भिजवाया गया। तदोपरान्त राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 27.03.2025 के बिन्दु संख्या 03(3.1) के अनुसार 2.0 हैक्टर तक के प्रकरणों में सरलीकरण की दृष्टि से शक्तिया वरिष्ठ प्रारूपकार से तकनीकी राय एवं नगरीय निकाय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति एवं अंतिम स्वीकृति/निर्णय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति स्थानीय स्तर पर प्रयोजित किये जाने हेतु विभाग द्वारा आदेश/अधिसूचना जारी की गई है। उक्त प्रकरण का परिक्षण कर तकनीकी अनुमोदन स्थानीय स्तर की ले-आउट प्लान समिति में रखा जाकर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण का परिक्षण कर तकनीकी अनुमोदन स्थानीय स्तर की ले-आउट प्लान समिति में रखा जाकर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित भूमि का आवासीय ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः वाद विचार विमर्श समिति द्वारा निम्न शर्तों के अध्याधीन उक्त आवेदित भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ साईट प्लान अनुमोदन का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया:-

1. आवेदित खसरे ड्राफ्ट मास्टर प्लान में आवासीय भू-उपयोग श्रेणी में आरक्षित है।

6. आवेदित आवासीय योजना टाउनशिप पॉलिसी विनियम-2024 के नियमानुसार है।
 7. आवेदित आवासीय योजना के सभी भूखण्डों पर राजस्थान भवन विनियम 2025 के अधिनियम अनुसार सैट बैक लागू होंगे।
 8. आवेदित आवासीय योजना में एचटी लाईन के चारों तरफ नियमानुसार सेप्टी कोरीडोर छोड़ा गया है।
 9. आवेदित आवासीय योजना में सूविधा क्षेत्र/फेसलिटी क्षेत्र रोड तथा पार्क निकाय में निहित रहेंगे।
 10. आवेदित आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 158016.98 वर्गफुट (1.468 हेक्टर) का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। जो पत्रायली में संलग्न है।
- अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

एजेण्डा नं. : 10

सदस्य श्री लोकेश बंसल पुत्र श्री राम प्रसाद बंसल निवासी वार्ड नंबर 18, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के कस्बा सूरतगढ़ के चक टीलावाली खसरा नं. 267/8 मिन 2 की 0.8855 हेक्टर व 8/4 मिन 1 की 0.8855 हेक्टर कुल 1.771 हेक्टर यानि 17710 वर्गमीटर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत कृषि

भूमि का अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण साईट प्लान अनुमोदन का प्रकरण समिति के समक्ष रखा। प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा और आवंटन हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के तहत बनाये गए राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि परियोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 अधिसूचना प.3(90) नवि/3/2012 जयपुर में वर्णित समस्त दस्तावेज दिनांक 18.11.2025 को पालिका में प्रस्तुत किये। प्रकरण के सम्बंध में नगरपालिका स्तर पर की गई जाँच और तकनीकी अभियंता की रिपोर्ट भी प्राप्त की जा चुकी है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2047 में यह भूमि (आवासीय) हेतु आरक्षित है। मौके पर भूमि रिक्त है। प्रकरण के संबंध में नियम 6 के अनुसार प्राप्त आवेदन का एक सैट नियम 3(1) के तहत जाँच कर 15 दिवस के भीतर सहमति/आक्षेप एवं बिन्दुवार रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र क्रमांक 4046 दिनांक 03.02.2026 द्वारा तहसीलदार राजस्व को भिजवाया गया। तदोपरान्त तहसीलदार (राजस्व) द्वारा पत्र क्रमांक 160 दिनांक 05.02.2026 द्वारा निर्धारित प्रपत्र 6 में अभिशंषा प्राप्त हुई। पालिका द्वारा निर्धारित प्रारूप 10 क्रमांक 4041-4045 दिनांक 03.02.2026 द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं सीमा सन्देश को लोक सूचना प्रकाशित करवाई गई अन्तर मियाद कोई आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। श्रीमान् को लोक सूचना प्रकाशित करवाई गई अन्तर मियाद कोई आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। श्रीमान् वरिष्ठ प्रारूपकार, सूरतगढ़ को भिजवाया गया। तदोपरान्त राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प.18(25)नवि/सामान्य/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 27.03.2025 के बिन्दु संख्या 03(3.1) के अनुसार 2.0 हेक्टर तक के प्रकरणों में सरलीकरण की दृष्टि से शक्तिया वरिष्ठ प्रारूपकार से तकनीकी राय एवं नगरीय निकाय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति एवं अंतिम स्वीकृति/निर्णय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति स्थानीय स्तर पर प्रयोजित किये जाने हेतु विभाग द्वारा आदेश/अधिसूचना जारी की गई है। उक्त प्रकरण का परिक्षण कर तकनीकी अनुमोदन स्थानीय स्तर की ले-आउट प्लान समिति में रखा जाकर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण का परिक्षण कर तकनीकी अनुमोदन स्थानीय स्तर की ले-आउट प्लान समिति में रखा जाकर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित भूमि का गोदाम ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय: वाद विचार विमर्श समिति द्वारा निम्न शर्तों के अध्याधीन उक्त आवेदित भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ साईट प्लान अनुमोदन का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया: -

1. आवेदित खसरे ड्राफ्ट मास्टर प्लान में आवासीय भू-उपयोग श्रेणी में आरक्षित है।
2. आवेदित योजना का पहुचमार्ग ड्राफ्ट मास्टर प्लान प्रस्तावित 200 फीट चौड़ी सड़क से प्राप्त है। जो योजना पूर्व दिशा से गुजरती है।
3. आवेदित आवासीय योजना में 10 प्रतिशत भूखण्ड को रहन रखे जाने पश्चात् ही योजना के भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाने की सुनिश्चिता किया जाना आवश्यक है।
4. आवेदित आवासीय रेरा पंजीयन होने की अनुपालना आवश्यक रूप से किये जाने के पश्चात् ही भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाने की सुनिश्चिता किया जाना आवश्यक है।
5. आवेदित खसरे के प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने की प्रारूप-8 रिपोर्ट राजस्व पट्टाशी से प्राप्त है जो पत्रायली में संलग्न है।
6. आवेदित आवासीय योजना टाउनशिप पॉलिसी विनियम-2024 के नियमानुसार है।

7. आवेदित आवासीय योजना के सभी भूखण्डों पर राजस्थान भवन विनियम 2025 के अधिनियम अनुसार सैट बैक लागू होंगे।
 8. आवेदित आवासीय योजना में एचटी लाईन के चारों तरफ नियमानुसार सेपटी कोरीडोर छोड़ा गया है।
 9. आवेदित आवासीय योजना में सूविधा क्षेत्र/फेसलिटी क्षेत्र रोड तथा पार्क निकाय में निहित रहेंगे।
 10. आवेदित आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 190575 वर्गफुट (1.771 हैक्टर) का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। जो पत्रावली में संलग्न है।
- अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

एजेण्डा नं. : 11

सदस्य श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 21, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के कस्बा सूरतगढ़ का चक टीलावाली खसरा नं. 267/8 मिन 2 की 0.8855 हैक्टर व 8/4 मिन 2 की 0.8855 हैक्टर कुल 1.771 हैक्टर यानि 17710 वर्गमीटर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण साईट प्लान अनुमोदन का प्रकरण समिति के समक्ष रखा।

प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा और आवंटन हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के एवं ततधीन बनाये गए राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि परियोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 अधिसूचना प.3(90) नवि/3/2012 जयपुर में वर्णित समस्त दस्तावेज दिनांक 18.11.2025 को पालिका में प्रस्तुत किये। प्रकरण के सम्बंध में नगरपालिका स्तर पर की गई जाँच और तकनीकी अभियंता की रिपोर्ट भी प्राप्त की जा चुकी है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2047 में यह भूमि (आवासीय) हेतु आरक्षित है। मौके पर भूमि रिक्त है। प्रकरण के संबंध में नियम 6 के अनुसार प्राप्त आवेदन का एक सैट नियम 3(1) के तहत जाँच कर 15 दिवस के भीतर सहमति/आक्षेप एवं बिन्दुवार रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र क्रमांक 4054 दिनांक 03.02.2026 द्वारा तहसीलदार राजस्व को भिजवाया गया। तदोपरान्त तहसीलदार (राजस्व) द्वारा पत्र क्रमांक 161 दिनांक 05.02.2026 द्वारा निर्धारित प्रपत्र 6 में अभिशंषा प्राप्त हुई। पालिका द्वारा निर्धारित प्रारूप 10 क्रमांक 4049-53 दिनांक 03.02.2026 द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं सीमा सन्देश को लोक सूचना प्रकाशित करवाई गई अन्तर मियाद कोई आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। श्रीमान वरिष्ठ आदेश क्रमांक प.18(25)नवि/सामान्य/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 27.03.2025 के बिन्दु संख्या 03(3.1) के अनुसार 2.0 हैक्टर तक के प्रकरणों में सरलीकरण की दृष्टि से शक्तिया वरिष्ठ प्रारूपकार से तकनीकी राय एवं नगरीय निकाय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति एवं अंतिम स्वीकृति/निर्णय ले-आउट प्लान अनुमोदन प्रकरण का परिक्षण कर तकनीकी अनुमोदन स्थानीय स्तर की ले-आउट प्लान समिति में रखा जाकर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण का परिक्षण कर तकनीकी अनुमोदन स्थानीय स्तर की ले-आउट प्लान समिति में रखा जाकर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित भूमि का गोदाम ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय: वाद विचार विमर्श समिति द्वारा निम्न शर्तों के अध्याधीन उक्त आवेदित भूमि के आवासीय

प्रयोजनार्थ साईट प्लान अनुमोदन का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया: -

1. आवेदित खसरे ड्राफ्ट मास्टर प्लान में आवासीय भू-उपयोग श्रेणी में आरक्षित है।
2. आवेदित योजना का पहुचमार्ग ड्राफ्ट मास्टर प्लान प्रस्तावित 40 फीट चौड़ी सड़क से प्राप्त है। जो योजना पुर्य व मध्य दिशा से गुजरती है।
3. आवेदित आवासीय योजना में 10 प्रतिशत भूखण्ड को रहन रखे जाने पश्चात् ही योजना के भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाने की सुनिश्चिता किया जाना आवश्यक है।
4. आवेदित आवासीय रेरा पंजीयन होने की अनुपालना आवश्यक रूप से किये जाने के पश्चात् ही भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाने की सुनिश्चिता किया जाना आवश्यक है।
5. आवेदित खसरों के प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने की प्रारूप-8 रिपोर्ट राजस्व पटवारी से प्राप्त है जो पत्रावली में संलग्न है।
6. आवेदित आवासीय योजना टाउनशिप पॉलिसी विनियम-2024 के नियमानुसार है।
7. आवेदित आवासीय योजना के सभी भूखण्डों पर राजस्थान भवन विनियम 2025 के अधिनियम अनुसार सैट बैक लागू होंगे।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद सम्पन्न की गई।


सदस्य सचिव
अधिशोषी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़

सदस्य
सहायक अभियन्ता
नगरपालिका सूरतगढ़

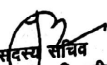

सदस्य
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका सूरतगढ़


प्रशासक
नगरपालिका सूरतगढ़

क्रमांक/सूचि/2026/576-79
प्रतिलिपि: -

दिनांक : 26/02/26

1. श्रीमान् वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका सूरतगढ़।
2. सहायक अभियन्ता, नगरपालिका सूरतगढ़।
3. नोटिस बोर्ड, नगरपालिका सूरतगढ़।
4. सुरक्षित पत्रावली।


सदस्य सचिव
अधिशोषी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़

कार्यालय नगरपालिका सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज०)

क्रमांक/भूमि/2026/ 51

दिनांक : 13/04/2026
2026

—: कार्यालय आदेश —:

नगरपालिका सूरतगढ़ के द्वारा श्री लोकेश बंसल पुत्र श्री राम प्रसाद बंसल निवासी वार्ड नंबर 18, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के चक टीलावाली खसरा नं. 267/8 मिन 1 की 0.8855 हैक्टर व 8/4 मिन 1 की 0.8855 हैक्टर कुल 1.771143 हैक्टर यानि 17711.43 वर्गमीटर भूमि प्राधिकृत अधिकारी/अधिशायी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ के पत्रांक 4282-4285 दिनांक 12.02.2026 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 27.03.2025 के बिन्दु संख्या 03(3.1) के अनुसार 2.0 हैक्टर तक के प्रकरणों में सरलीकरण की दृष्टि से शक्तिया वरिष्ठ प्रारूपकार से तकनीकी राय एवं नगरीय निकाय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति एवं अंतिम स्वीकृति/निर्णय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति स्थानीय स्तर पर प्रयोजित किये जाने हेतु विभाग द्वारा आदेश/अधिसूचना जारी की गई है। नगरपालिका सूरतगढ़ ले-आउट प्लान कमेटी बैठक क्रमांक 575-579 दिनांक 26.02.2026 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है एवं नियमन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि पर कॉलोनाईजर/खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पानी, पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एन.ओ.सी. बाबत राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प. 18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 27.03.2025 के बिन्दु संख्या 03(3.1) के अनुसार 2.0 हैक्टर तक के प्रकरणों में सरलीकरण की दृष्टि से शक्तिया वरिष्ठ प्रारूपकार से तकनीकी राय एवं नगरीय निकाय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति एवं अंतिम स्वीकृति/निर्णय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति स्थानीय स्तर पर प्रयोजित किये जाने हेतु विभाग द्वारा आदेश/अधिसूचना जारी की गई है तथा कॉलोनाईजर द्वारा लिखित अण्डरटेकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि नियत समयविधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के गणपति एन्क्लेव-01, सूरतगढ़ में भूखण्ड सं. 01, 18, 19, 37, कुल 04 भूखण्ड नगरपालिका सूरतगढ़ के पास रहन (प्लज) रहेंगे। नियत अवधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहनशुदा प्लॉट नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजरर्स/खातेदार ने स्वयं को पाबंद किया है।

1. स्वीकृत ले-आउट प्लान में टाउनशिप पॉलिसी-2024 अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क नाली निर्माण, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज, पार्क का विकास, पौधारोपण, विद्युतीकरण, पेजयल आपूर्ति व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र की चार दीवारी का निर्माण आदि स्वयं कॉलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर करवाये जावेंगे और इस संबंध में नगरपालिका किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेदार नहीं होगी।
2. खातेदार द्वारा टाउनशिप पॉलिसी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क यथा प्रिमियम, लीज राशि, ब्राह्म विकास शुल्क, बीएसयूपी एवं अन्य शुल्क निर्धारित समयविधि में जमा करवाने होंगे।
3. कॉलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय बाहर एवं कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करवायी जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।
4. राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प. 18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 27.03.2025 को मध्य नजर रखते हुए समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार स्वीकृत योजना गणपति एन्क्लेव-01, सूरतगढ़ में भूखण्ड सं. 01, 18, 19, 37, कुल 04 भूखण्ड नगरपालिका के पास रहन रहेंगे। कॉलोनाईजर/खातेदार द्वारा ज्यो-ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवाये जावेंगे,

रहनशुदा प्लाट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवायें जा सकें एवं शर्तों की पालना की जावेंगी।

5. संबंधित कॉलोनाईजर/खातेदारों पर 100/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कॉलोनाईजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डों के विरुद्ध बैचान आदि करने पर नगरपालिका द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
6. भूमि के स्वामित्व बाबत किसी भी प्रकार का विवाद होने सम्बन्धी समस्त जिम्मेदारी खातेदार/कॉलोनाईजर की होगी।
7. रहन रखे गये भूखण्डों के अलावा अन्य भूखण्डों को स्वीकृत प्लान के अनुसार बेचान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 10/- रुपये के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जावें।
8. कॉलोनाईजर/खातेदार को नियमानुसार रेरा में पंजीयन करवाना होगा।

(पूजा शर्मा)
अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़
दिनांक :

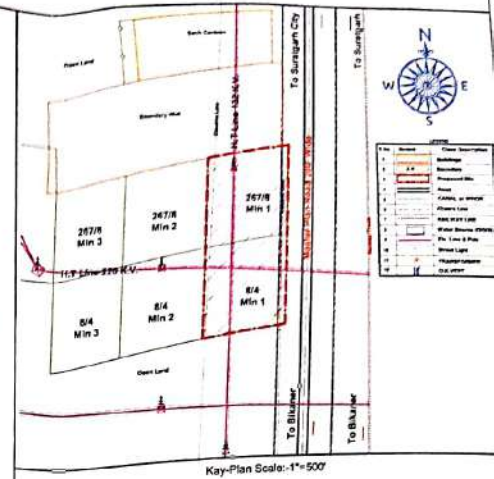
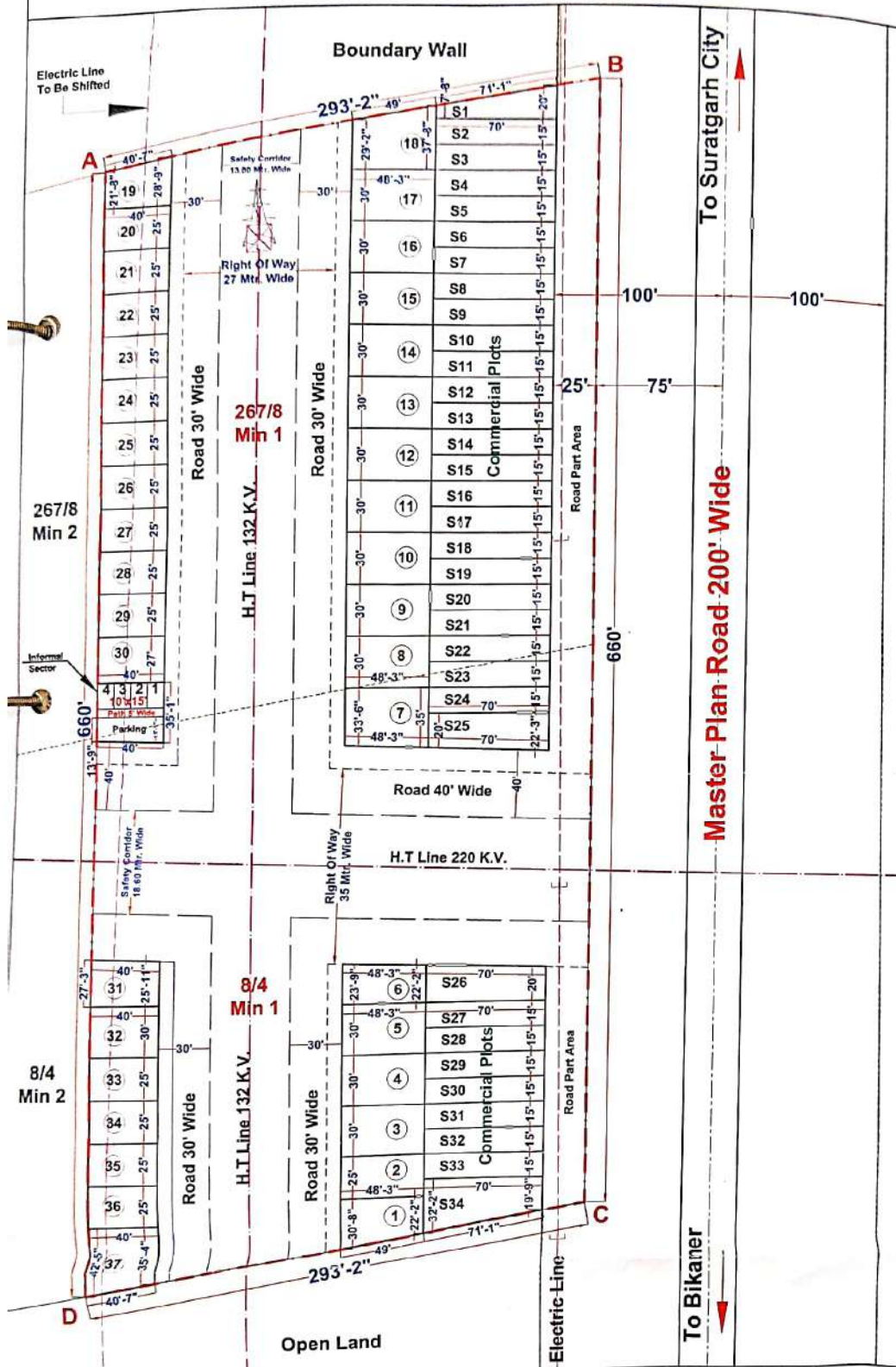
क्रमांक/भूमि/2026/

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अधिशायी अधिकारी/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका सूरतगढ़।
2. वरिष्ठ सहायक नगरपालिका सूरतगढ़।
3. भूमि शाखा, नगरपालिका सूरतगढ़ को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।

(पूजा शर्मा)
अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़

Lay-Out Plan Of Residential Colony "Ganpati Enclave" Khasra No. 267/8 Min 1(0.8855), 8/4 Min 1 (0.8855) Total=1.771Hectare Chak Tilawali At Tehsil. Suratgarh & Distt. Sri Ganganagar(Raj.)



Area Analysis

Particular	Area(Sqft.)	%
Commercial	37240.80	19.54
Residential	45575.94	23.92
Informal Sector	1376.80	00.72
Roads & Safety Corridor	106381.46	55.82
Total Land	190575.00	100.00

Area Under H.t. Line:-81457.50 Sqft
42.74% Of Total Area

Handwritten signature
(रणधीर मीरवाल)
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका, सूरतगढ़

कार्यालय नगरपालिका सूरतगढ़
उप से-आउट प्लान राजस्थान
टाउनशिप पॉलिसी 2024 (90A) के तहत
दिनांक 26/12/26 को स्वीकृत किया गया।

अभिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, सूरतगढ़



Owner's :- Mr. Lokesh Bansal S/o Mr. Ramprasad bansal

Owner's Land:-190575.00 Sqft. Or 17710.00 Sqmt.Or 1.771 Hectare

Lay-Out Plan Scale:-1"=70'
Of A-3 Paper Size